न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 55/2022

सरकार बनाम औमप्रकाश पुत्र फूलाराम जाति बावरिया निवासी सूरजगढ़

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 08.08.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से एडवोकेट श्री मदनसिंह राठोड़ ने जबाब नोटिस पेश किया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल औमप्रकाश पुत्र फूलाराम जाति बावरिया निवासी सूरजगढ़ द्वारा रोही फरट की राजकीय भूमि ख.नं. 272 रकबा 48.86 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.01 है0 पर कच्ची झोपड़ी व तंबु बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से एडवोकेट श्री मदनसिंह राठोड़ ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि वह भूमिहिन व्यक्ति है जो फसलों की रखवाली का कार्य करता है तथा अस्थाई तंबू व झोपड़ी बना रखी है। गैर सायल अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। अतः गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेष दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राषि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........11........पर
वर्ष 2022-23 में रुपये 5/- कायम कि.
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़